

प्राचार्य का कार्यालय, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक :—

दिनांक :—

कार्यालय आदेश

बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग, पटना के संकल्प ज्ञापांक – 571(12) स्वा० दिनांक – 02.08.2020 के अल्लोखित वैशिक महामारी कोविड – 19 के परिपेक्ष्य में स्वास्थ्य विभाग के सभी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को एक माह के मूल वेतन के समतुल्य प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की स्वीकृति के आलोक में इस संस्थान में कार्यरत सभी चिकित्सक / तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय नियमित एवं संविदागत कर्मियों को कंडिका – 04 के निर्दिष्ट अनुसार माह – अप्रैल – 20 को प्राप्त मूल वेतन के अनुसार माह – अप्रैल – 20 की अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर एक माह का मूल वेतन / मानदेय के समतुल्य राशि भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है।

इस व्यय का वहन माग संख्या – 20 (स्वास्थ्य विभाग) के अन्तर्गत चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों के कार्यालय के सम्बन्धित सुसंगत विपत्र कोड के सुसंगत विषय शीर्ष अन्तर्गत वित्तीय वर्ष – 2020–21 में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

हा० / –

प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक :— 2012/20

प्रतिलिपि :—

दिनांक :— 20/8/2020

- 1) सभी विभागाध्यक्ष, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर से अनुरोध है कि अपने विभाग में कार्यरत नियमित / संविदा चिकित्सक / शिक्षक / तृतीय एवं चतुर्थवर्ग कर्मचारियों की सूची यथाशीघ्र अपने स्तर से अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करेंगे ताकि अग्रतर कर्यवाई की जा सकें।
- 2) बरसर / लेखापाल / सभी संबंधित स्थापाना लिपिक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- 3) कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- 4) निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- 5) प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्राचार्य
20/8/2020

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय

मुजफ्फरपुर।

19/8/2020